चंद्र शेखर सिंह एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

(सिविल याचिका संख्या 10389/2024)

(20 मार्च 2025)

[विक्रम नाथ एवं संदीप मेहता,* न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के नियुक्ति हेतु जारी नियमों एवं भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित 'डिग्री' शब्द को क्या "स्नातक डिग्री" तक सीमित माना जाएगा या उसके अंतर्गत "स्नातकोत्तर डिग्री" भी शामिल मानी जाएगी?

संक्षिप्त बिंदु †

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 - धारा 37, 91 - खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 - 2022 संशोधन - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 - धारा 22(3) - विज्ञापन में निर्धारित विषय में उच्चतर डिग्री रखने के आधार पर अयोग्यता ठहराना उचित नहीं - खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद पर चयन - अपीलकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया से इसलिए अयोग्य घोषित किया गया कि संबंधित विषय में उनकी स्नातकोत्तर डिग्री विज्ञापन में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुरूप नहीं थी, जिसमें आवश्यक योग्यता केवल स्नातक स्तर की डिग्री निर्धारित थी - उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्यता को बरकरार रखा गया - हस्तक्षेप किया गया;

निर्णय: अपीलकर्ताओं के पास FSS 2011 नियमों के क्लॉज 2.1.3 के अंतर्गत आने वाले विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं, अतः वे संबंधित विज्ञापन के तहत FSO के पद के लिए योग्य हैं - यूजीसी अधिनियम की धारा 22(3) के अनुसार 'डिग्री' का अर्थ 'स्नातक डिग्री', 'स्नातकोत्तर डिग्री' और 'डॉक्टरेट

डिग्री' होता है - अतः जहाँ भी 'डिग्री' शब्द का उपयोग किया गया है, जब तक स्पष्ट अपवर्जन न हो, उसमें ये तीनों – 'स्नातक', 'स्नातकोत्तर' और 'डॉक्टरेट' – शामिल होंगे - FSS 2011 नियमों या संबंधित विज्ञापन में ऐसा कोई अस्पष्ट प्रावधान नहीं है जो स्नातकोत्तर डिग्री को (रसायन शास्त्र विषय को छोड़कर) अमान्य ठहराए - रसायन शास्त्र विषय के संबंध में विशेष प्रावधान इस कारण से रखा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र लिया है, उनके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित की गई है - तथापि, अन्य विषयों के मामले में, स्नातक या स्नातकोत्तर, किसी भी स्तर की डिग्री रखने वाला व्यक्ति इस पद के लिए समान रूप से योग्य माना जाएगा - विवादित निर्णय निरस्त किए जाते हैं - **व्याख्या का स्वर्णिम सिद्धांत** लागू। [पैरा 29, 31, 32, 34, 35]

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 - धारा 37, 91, 94 -
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ -
उनका क्षेत्राधिकार - विवेचित - खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011। [पैरा 24-26]

उद्धृत किया गया निर्णय

परवेज़ अहमद पारी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य [2015] 12 एससीआर 810 : (2015) 17 एससीसी 709 - अनुसरण किया।

अधिनियमों की सूची

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956; खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006; खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011

कीवर्ड्स की सूची

फूड सेफ्टी ऑफिसर; झारखंड लोक सेवा आयोग; झारखंड राज्य में FSO का पद; भर्ती प्रक्रिया; अयोग्यता; उच्चतर डिग्री; भर्ती के दौरान अयोग्य घोषित; शैक्षणिक योग्यता; स्नातकोत्तर डिग्री मान्य योग्यता; "डिग्री"; 'स्नातक डिग्री'; 'स्नातकोत्तर डिग्री'; 'डॉक्टरेट डिग्री'; व्याख्या का स्वर्णिम सिद्धांत; शाब्दिक अर्थ।

केस का उद्भव

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र: सिविल याचिका संख्या 10389/2024

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा एल.पी.ए. सं. 244/2020 में दिनांक 02.08.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न।

पक्षों के लिए उपस्थितियाँ

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता :
अनूप कुमार, विष्णु प्रभाकर पाठक, सुश्री श्रुति सिंह, सुश्री प्रज्ञा चौधरी, अवनीश गुप्ता, श्रीमती नेहा जायसवाल, शिवम कुमार।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:
जयंत मोहन, सुश्री मीनाक्षी चटर्जी, सुश्री आद्या श्री दत्ता, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, शुभम सिंह, श्रीमती रेवती राघवन, सुश्री काव्या रॉय चौधरी, रोहित गुप्ता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

मेहता, न्यायाधीश

1. दोनों पक्षों को सुना गया|

2. अपीलकर्ताओं ने इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्होंने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की प्रार्थना की है कि झारखंड राज्य के अनुरोध पर झारखंड लोक सेवा आयोग[2] द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार अपीलकर्ताओं की उम्मीदवारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी[1] के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाए।

3. वर्तमान अपीलकर्ता विज्ञान में सूक्ष्मजीव विज्ञान, खाद्य तथा प्रौद्योगिकी विषयों में स्नातकोत्तर योग्यता रखते हैं। उन्होंने जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2016[3] के अनुसरण करते हुए एफएसओ के पद के लिए आवेदन किया, जिसमें उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई थी- :
"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्मजीवविज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री।"

4. अपीलकर्ता लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए और जेपीएससी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। तथापि, भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं के पास मौजूद स्नातकोत्तर डिग्री को झारखंड राज्य में एफएसओ के पद पर चयन हेतु मान्य शैक्षणिक योग्यता नहीं माना जा सकता।

5. असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया तथा सम्बद्ध प्राधिकारियों को यह निदेश देने हेतु प्रार्थना की कि वे अपीलकर्ताओं का साक्षात्कार संपादित करें तथा परिणाम घोषित करें। साथ ही यह प्रार्थना भी की गई कि उत्तरदाताओं को यह आदेश दिया जाए कि वे विज्ञप्ति के अनुपालन में FSO पद पर नियुक्ति हेतु अपीलकर्ताओं द्वारा धारित मास्टर डिग्री को वैध शैक्षिक अर्हता के रूप में स्वीकार करें। माननीय एकल पीठ ने दिनांक 30 जून, 2020 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया।

6. असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अंतः न्यायालयीय अपील दायर की। उक्त अपील में, प्रतिवादी संख्या 8 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक प्रत्युत्तर हलफ़नामा दाखिल किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 'डिग्री' से अभिप्राय निर्दिष्ट विषयों में किसी भी डिग्री से है, चाहे वह स्नातक हो अथवा स्नातकोत्तर। तत्पश्चात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पूरक हलफ़नामा भी दाखिल किया गया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया कि डिग्री से आशय उसी डिग्री से होगा जो इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो। खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर उक्त अंतः न्यायालयीय अपील को दिनांक 2 अगस्त, 2023 के निर्णय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विषय विज्ञापन के अनुरूप अपीलकर्ताओं के पास फूड टेक्नोलॉजी; डेयरी टेक्नोलॉजी; बायोटेक्नोलॉजी; ऑयल टेक्नोलॉजी; कृषि विज्ञान; पशु चिकित्सा विज्ञान; बायोकैमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक डिग्री नहीं है और अपीलकर्ताओं द्वारा धारण की गई माइक्रोबायोलॉजी/फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्रियाँ विषय विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करती हैं। उच्च न्यायालय के उपर्युक्त अंतः न्यायालयीय अपील में दिए गए निर्णय को विशेष अनुमति द्वारा दायर इस अपील में चुनौती दी गई है।

<u>अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियां</u> :-

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रबल एवं गंभीर रूप से यह प्रस्तुत किया कि संबंधित विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार अभ्यर्थी के पास फ़ूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, उक्त विज्ञापन में यह

भी प्रावधान किया गया था कि रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिसिन में डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

8. काबिल अधिवक्ता ने आगे यह प्रबल रूप से निवेदन किया कि संबंधित विज्ञापन में प्रयुक्त शब्द 'डिग्री' को इस प्रकार सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता कि प्रासंगिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री को उसके दायरे और क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि "खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं का मिलावट" विषय, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006** का प्रवर्तन किया गया है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची (सूची-III) के मद संख्या 18 में स्थान पाता है।

9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(2) के अनुसार, संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों को सातवीं अनुसूची की सूची-III में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की समानान्तर (समवर्ती) शक्तियाँ प्राप्त हैं।

10. विद्वत अधिवक्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 का संदर्भ देते हुए यह आग्रह किया कि समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि किसी प्रकार का असंगति या टकराव उत्पन्न होता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रधान रहेगा। उन्होंने आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया कि उसके धारा 37 की उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSOs) के पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी। FSS अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की भूमिका केवल इतनी है कि वह राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को अधिकृत कर सके, जिसके पास धारा 37 की उपधारा (1) के अनुसार निर्धारित योग्यताएँ हों, ताकि वह निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर FSO के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

11. उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि धारा 37 की उपधारा (2) उन संक्रमणकालीन परिस्थितियों से संबंधित है, जो नियमित रूप से चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSOs) की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे किसी अन्य अधिकारी को, जिसके पास आवश्यक योग्यता हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों का संपादन करने के लिए अधिकृत कर सकें।

12. विद्वत अधिवक्ता ने आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की धारा 91 का संदर्भ देते हुए यह आग्रह किया कि अधिनियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद हेतु योग्यता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय सरकार को है। धारा 94 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु वह केवल इस

सीमा तक सीमित है कि राज्य सरकार एवं राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सौंपे जाने वाले कार्यों एवं दायित्वों को परिभाषित किया जा सके।

13. विद्वत अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) में परिभाषित 'डिग्री' शब्द में 'स्नातक डिग्री', 'स्नातकोत्तर डिग्री' तथा 'डॉक्टरेट डिग्री' सम्मिलित हैं। इसलिए, जहाँ भी किसी विधि या अधिसूचना में योग्यता के रूप में 'डिग्री' का उल्लेख किया जाता है, वहाँ उसके दायरे में उपरोक्त तीनों डिग्रियाँ – अर्थात् स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट – आती हैं। इस तर्क को सुदृढ़ करने हेतु, सीखित अधिवक्ता ने यूजीसी द्वारा दाखिल अनुपूरक प्रत्युत्तर-हलफ़नामे का संदर्भ दिया, जिसमें आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्तमान संदर्भ में 'डिग्री' वही होगी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो।

14. यह भी जोर देकर प्रस्तुत किया गया कि एफएसओ के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, एफएसएस अधिनियम के तहत, पूरे देश में समान रूप से लागू होती है, जिसमें झारखंड राज्य भी शामिल है। अतः विषयगत भर्ती प्रक्रिया में प्रतिवादियों द्वारा 'डिग्री' शब्द को भिन्न तथा संकुचित अर्थ प्रदान करते हुए जो भेदभाव किया गया है, वह मनमाना एवं असंवैधानिक है।

15. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि एफएसओ के पद के लिए उपर्युक्त विषयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टरेट डिग्री अनिवार्य होगी। काबिल अधिवक्ता के अनुसार यह संशोधन इस उद्देश्य से किया गया है कि एफएसओ पद हेतु अर्हता संबंधी विद्यमान भ्रम को दूर किया जा सके। उन्होंने इस आशय का समर्थन करते हुए परवेज़ अहमद पारी बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य9 के इस माननीय न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया; यह प्रतिपादित करने हेतु कि विज्ञापन में निर्दिष्ट विषय में उच्चतर डिग्री रखने वाला अभ्यर्थी केवल इस कारण से अपात्र नहीं ठहराया जा सकता कि उसके पास न्यूनतम निर्धारित डिग्री नहीं है।

16. उपरोक्त आधारों पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि माननीय न्यायालय अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश तथा द्वैधपीठ द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करे तथा प्रतिवादियों को यह निर्देश दे कि अपीलकर्ताओं को साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए और यदि वे चयनित होते हैं, तो सभी परवर्ती लाभों सहित उन्हें नियुक्त किया जाए। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी निवेदन किया कि न्यायालय

प्रतिवादियों को निर्देश दे कि अपीलकर्ताओं के दावे पर वर्ष 2023 में संचालित आगामी भर्ती प्रक्रिया में विचार किया जाए।

<u>प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ</u> :-

17. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा अग्रेषित प्रस्तुतियों का जोरदार और प्रबल विरोध किया। उनका तर्क था कि अपीलकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, बिना इस विज्ञापन में निर्दिष्ट शर्तों को चुनौती दिए, जिसमें स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से यह प्रदान किया गया था कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री, अथवा रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री होगी। विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के स्तंभ में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थी की पात्रता केवल रसायन विज्ञान विषय तक ही सीमित होगी।

18. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विषयगत विज्ञापन में उल्लिखित विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे विज्ञापन में प्रयुक्त 'डिग्री' शब्द के दायरे को इस प्रकार विस्तृत करें कि उसमें समकालीन विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री भी सम्मिलित हो जाए, जबकि यह विज्ञापन में की गई स्पष्ट शर्तों के प्रतिकूल है।

19. इन आधारों पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के दावों को अस्वीकार करते हुए माननीय एकल पीठ तथा द्वैधपीठ द्वारा दर्ज समान अभिलिखित निष्कर्षों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

विचार-विमर्श :-

20. हमने बार के समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर समुचित विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

21. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अपने स्नातकोत्तर डिग्री–माइक्रोबायोलॉजी तथा फ़ूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषयों में–का खुलासा करते हुए संबंधित पदों पर दावा प्रस्तुत किया था। अतः विषयगत भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में न तो कोई अस्पष्टता थी और न ही कोई भ्रामक प्रस्तुति। प्रतिवादी-भर्ती प्राधिकारी ने पूर्ण ज्ञान एवं समझ के साथ अपीलकर्ताओं के आवेदन-पत्र स्वीकार किए तथा योग्यता-आधारित प्रदर्शन के आधार पर उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया। उक्त अवस्था में जाकर अपीलकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया गया और

चयन-प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, इस आधार पर कि वे संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं, जबकि नियमों और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह प्रदत्त था कि आवश्यक डिग्री स्नातक स्तर की होनी चाहिए।

22. एफएसओ के पद के लिए योग्यता और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act) की धाराएँ 37, 91 और 94 में निहित हैं, जिन्हें संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:-

"37. खाद्य सुरक्षा अधिकारी

(1) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अधिसूचना द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा, और उन्हें ऐसे स्थानीय क्षेत्रों का प्रभार सौंपेगा जैसा वह निर्धारित करे, ताकि वे इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

(2) राज्य सरकार किसी भी ऐसे राज्य शासन के अधिकारी को, जो उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता रखता हो, अधिकृत कर सकती है कि वह निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों का निर्वहन कर सके।

91. नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

(1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्तियों की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:–

(a) उपधारा (2) के तहत पदेन सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, सेवा की शर्तें और नियम, तथा धारा 7 की उपधारा (3) के अंतर्गत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की विधि;

(b) धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता;

(c) धारा 38 के उपखंड (8) के अंतर्गत जब्त किए गए दस्तावेज़ों की प्रति निकालने की विधि;

(d) धारा 42 के उपखंड (4) के अंतर्गत उपयुक्त न्यायालयों को संदर्भित करने योग्य मामलों का निर्धारण तथा ऐसे निर्धारण के लिए समय-सीमा;

(e) धारा 45 के अंतर्गत खाद्य विश्लेषकों की योग्यताएँ;

(f) धारा 47 की उपधारा (1) के अंतर्गत नमूने को विश्लेषण हेतु भेजने की विधि और इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण;

(g) धारा 68 की उपधारा (1) के अंतर्गत मामलों के निर्णय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(h) धारा 70 की उपधारा (4) के अंतर्गत अध्यक्षीय अधिकारी की योग्यताएँ, कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, तथा उपधारा (5) के अंतर्गत अपील की प्रक्रिया और न्यायाधिकरण की शक्तियाँ;

(i) धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (g) के अंतर्गत न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में;

(j) धारा 76 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने हेतु देय शुल्क;

(k) धारा 81 की उप-धारा (1) के अंतर्गत बजट तैयार करने का प्रपत्र और समय;

(l) धारा 83 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खातों के विवरण और प्रपत्र;

(m) धारा 84 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रपत्र और समय; तथा

(n) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियम बनाने की आवश्यकता हो, या जिसे नियमों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना हो या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना हो।

94. राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार तथा खाद्य प्राधिकरण को क्रमशः नियम एवं विनियम बनाने की शक्तियों के अधीन, राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात तथा खाद्य प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकती है, जिनके माध्यम से इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुरूप राज्य सरकार तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जा सके।

2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्तियों की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या सभी के संबंध में उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् –

(a) धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (f) के अंतर्गत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अन्य कार्य;

(b) एक निधि को पृथक निर्धारित करना तथा धारा 95 के अधीन अपराध का पता लगाने या अपराधी को पकड़वाने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिए जाने की विधि;

(c) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में नियम बनाए जाना आवश्यक हो, या बनाया जा सकता हो, अथवा जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से उपबंध किए जाने का प्रावधान हो।

(3) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ राज्य विधानमंडल दो सदनों से बना हो, या जहाँ राज्य विधानमंडल एक सदन से बना हो, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।"

23. धारा 37(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) की नियुक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जानी है, और अभ्यर्थियों के पास उक्त पद के लिए **"केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यता"** (ज़ोर दिया गया) होनी चाहिए।

24. धारा 37 के उप-धारा (2) के अंतर्गत, राज्य सरकार को केवल सीमित अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को, जिसके पास उप-धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट योग्यता हो, निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार में FSO के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत कर सके।

25. विधि की स्पष्ट भाषा से यह स्पष्ट होता है कि FSO पद के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है तथा नियुक्ति करने की शक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्रदान की गई है।

26. FSS अधिनियम की धारा 91(2)(b) की भाषा उपर्युक्त निष्कर्ष को और सुदृढ़ करती है कि FSO पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित है। धारा 91 का शीर्षक है – *"नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति"*। धारा 91 की उपधारा (2)(b) में धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत FSO की योग्यता का उल्लेख है। न तो अधिनियम में और न ही नियमों में राज्य सरकार को FSO पद की योग्यता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का कोई अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 94, जो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, वह सीमित है और राज्य सरकार को केवल उन्हीं कार्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है जो FSS अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा राज्य सरकार तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सौंपे गए हैं। अतः स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रयोग

की जाने वाली शक्तियों का क्षेत्र केवल उस सीमा तक है, जहाँ तक FSS अधिनियम के अंतर्गत FSO को सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रक्रिया/प्रणाली निर्धारित करनी हो। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि FSS अधिनियम राज्य सरकार को FSO पद की योग्यता निर्धारित करने के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह अधिकार विशेष रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

27. केंद्र सरकार ने FSS अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए *खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011* अधिसूचित किए, जिनमें FSO पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

"2.1.3: **खाद्य सुरक्षा अधिकारी

1. योग्यता:** खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी होगा और जिस तिथि को उसे इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उस दिन उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ होंगी:

   (i) खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव-प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु-चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन या सूक्ष्म-जीवविज्ञान में स्नातक डिग्री **या** रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री **या** किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा में डिग्री, **या**

   (ii) कोई अन्य समकक्ष/मान्यता-प्राप्त योग्यता, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, और

   (iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान या इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत संस्थान से सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **यह उपबंध है कि** कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या विक्रय में वित्तीय रुचि हो, उसे इस नियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

28. ये वही नियम *mutatis mutandis* (आवश्यक परिवर्तनों के साथ यथार्थ रूप में) झारखंड राज्य द्वारा अपनाए गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रश्न विचारणीय है कि नियमों तथा भर्ती अधिसूचना में उल्लिखित शब्द **'degree' (डिग्री)** को क्या केवल **"स्नातक डिग्री"** तक ही सीमित माना जा सकता है, अथवा इसके अंतर्गत **"स्नातकोत्तर डिग्री"** भी सम्मिलित होगी।

29. 'डिग्री' शब्द की व्याख्या यूजीसी अधिनियम की धारा 22(3) में की गई है, जिसमें कहा गया है कि 'डिग्री' का आशय स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री तथा डॉक्टरेट डिग्री से है। अतः, जहाँ भी 'डिग्री' शब्द का प्रयोग होता है और जब तक कोई विशेष अपवर्जन न दिया गया हो, तब तक उसके अंतर्गत उपर्युक्त तीनों अर्थात् स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट डिग्री सम्मिलित मानी जाएँगी।

30. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ताओं को इस आधार पर अयोग्य ठहराया है कि उनके पास विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री है, जबकि FSS 2011 नियम (उपर्युक्त) के नियम 2.1.3 तथा अधिसूचना के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री केवल "रसायन विज्ञान" विषय में ही मान्य है और अन्य सभी विषयों के लिए केवल स्नातक डिग्री ही पात्रता का मापदंड निर्धारित की गई है।

31. हमारे विचार में FSS 2011 नियमों या विषय-विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता नहीं है, जिसके आधार पर रसायन विज्ञान के अतिरिक्त, नियम 2.1.3 (उपर्युक्त) में उल्लिखित अन्य विषयों में प्राप्त **स्नातकोत्तर डिग्री को अर्हता से पृथक** किया जा सके। उक्त नियम में **केवल रसायन विज्ञान विषय** के लिए ही विशेष रूप से स्नातकोत्तर डिग्री का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि रसायन विज्ञान विषय में योग्य अभ्यर्थियों हेतु **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री** होगी। हालाँकि, अन्य सभी विषयों के संदर्भ में, यदि कोई अभ्यर्थी उन विषयों में **स्नातक या स्नातकोत्तर – किसी भी स्तर की डिग्री** रखता है, तो वह **पद हेतु समान रूप से योग्य** होगा।

32. विधायी प्रावधान की भाषा को शाब्दिक अर्थ में पढ़ते हुए तथा व्याख्या के स्वर्णिम नियम को लागू करते हुए, यही एकमात्र तार्किक और अनुमेय व्याख्या है। अतः, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि यदि कोई अभ्यर्थी "रसायन शास्त्र" विषय में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है और वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे उस विषय में परास्नातक डिग्री अवश्य धारण करनी चाहिए। हालाँकि, यदि किसी अभ्यर्थी ने खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन शास्त्र या सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो ऐसा अभ्यर्थी FSO पद के लिए पात्र होगा, यदि उसके पास इन विषयों में से किसी एक में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट उपाधि है। इन विषयों में परास्नातक या डॉक्टरेट डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को FSO पद के लिए अयोग्य ठहराने का कोई तर्कसंगत या वैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि ऐसी व्याख्या पूर्णतः अन्यायपूर्ण, मनमानी और असंवैधानिक होगी।

33. विधिक प्रावधान की भाषा का शाब्दिक अवलोकन करते हुए तथा व्याख्या के स्वर्णिम सिद्धांत को लागू करने पर, यह एकमात्र तार्किक एवं विधिसम्मत व्याख्या प्रतित होती है। अतः, इसमें किसी

प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि यदि कोई अभ्यर्थी "रसायन विज्ञान" विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त करने उपरांत खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) पद हेतु आवेदन करना चाहता है, तो उसके लिए उक्त विषय में परास्नातक उपाधि का धारक होना अनिवार्य है। परन्तु जहाँ तक उन अभ्यर्थियों का प्रश्न है, जिन्होंने खाद्य प्रौद्योगिकी, दुग्ध प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैवरसायन अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान में उच्च शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे अभ्यर्थी, यदि उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में स्नातक, परास्नातक अथवा डॉक्टरेट उपाधि धारित करते हों, तो वे FSO पद के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त विषयों में परास्नातक या डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अयोग्य ठहराने का कोई औचित्य, तर्क या संवैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि ऐसी व्याख्या पूर्णतः अन्यायपूर्ण, मनमानी एवं असंवैधानिक सिद्ध होगी।

34. अतएव, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता, जो FSS 2011 नियमों के खंड 2.1.3 (उपर्युक्त उद्धृत) के अंतर्गत वर्णित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधियाँ धारित करते हैं, निःसंदेह रूप से विषयक विज्ञापन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद हेतु पूर्णतः पात्र एवं योग्य थे। अपीलकर्ताओं द्वारा जिस पर्वेज़ अहमद पैरी मामले (उपर्युक्त उद्धृत) पर अभिकथन किया गया है, वह इस विवाद को सभी प्रासंगिक पहलुओं पर पूर्णतया आच्छादित करता है। फलस्वरूप, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2023 तथा एकलपीठ द्वारा दिनांक 30 जून 2023 को पारित निर्णय विधिसम्मत परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और उनका निरस्तीकरण अपेक्षित एवं न्यायोचित है।

<u>निष्कर्ष :-</u>

35. परिणामस्वरूप, अपील को निम्नलिखित प्रकार से स्वीकार किया जाता है:

i. खंडपीठ एवं एकलपीठ द्वारा पारित वे विवादित निर्णय, जिनमें यह कहा गया था कि अपीलकर्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद हेतु अर्ह नहीं हैं, निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं।

ii. अपीलकर्ताओं द्वारा जेपीएससी द्वारा दिनांक 15 जून 2023 को जारी विज्ञापन संख्या 18/2023 के अंतर्गत साक्षात्कार में उपस्थित होने की जो प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने उक्त विज्ञापन के तहत आवेदन ही नहीं किया था।

iii. पूर्ण न्याय करने के हित में, तथा यदि भर्ती प्रक्रिया 2016 में रिक्तियाँ उपलब्ध न हों, तो प्रतिवादीगण अधिशेष (supernumerary) पद सृजित करेंगे ताकि अपीलकर्ताओं को समायोजित किया जा सके, जिन्हें उसी चरण से भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जहाँ से उन्हें

अयोग्य घोषित किया गया था, अर्थात् साक्षात्कार चरण से। यदि साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत अपीलकर्ता सफल होते हैं और संबंधित श्रेणी में अंतिम सफल अभ्यर्थी के बराबर या उससे उच्च मेरिट में आते हैं, तो उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो भर्ती प्रक्रिया 2016 में प्रथम चयन सूची के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों को न तो उच्च न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में पक्षकार बनाया गया था तथा उन्हें सुना भी नहीं गया था। अतः इस विलंबित चरण पर उनकी वरिष्ठता को प्रभावित न करने हेतु उपयुक्त निर्देश दिया जाना आवश्यक है। इसलिए यह आदेशित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं में से जो अभ्यर्थी सफल होंगे, उन्हें उक्त चयन प्रक्रिया में चयनित एवं नियुक्त अंतिम अभ्यर्थी के नीचे स्थान दिया जाएगा।

iv. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता सफल होते हैं और उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो उन्हें पिछली वेतन-भत्तों का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, उन्हें सभी सेवा लाभ **काल्पनिक (notional) आधार पर** प्रदान किए जाएंगे।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएंगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की जाती है।

† हेडनोट्स द्वारा: दिव्या पांडेय

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|